under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 with effect from 10th December, 1992. Action against VHP is to be taken by the State Governments under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and other Acts as powers under the Acts are delegated/vested in them.

दिल्ली में भूमि का अतिक्रमण

2882. **श्री चतुरानन मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुरुद्वारा नानकपुरा, नई दिल्ली-110 021 के निकट एक सार्वजनिक कार-पार्किंग स्थल में एक कार-स्कूटर वर्कशाप अनधिकृत रूप से चल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक भवन निर्माण सामग्री सप्लायर ने भी उक्त स्थान पर अवैध कब्जा कर लिया है और वह वहां अपनी भवन निर्माण सामग्री रख रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) इस स्थल को खाली कराने के लिए दिल्ली नगर निगम क्या कार्यवाही कर रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि नानकपुरा, नई दिल्ली में गुरुद्वारे के निकट सार्वजनिक कार पार्किंग स्थल पर कोई ऑटो वर्क-शाप नहीं चलाई जा रही है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

नानकपुरा दिल्ली में कथित बलात्कार की घटना की सी० बी० आई० जांच

2883. **श्री गया सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नानकपुरा, नई दिल्ली-110 021 की निवासी एक विधवा महिला की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सी० बी० आई० से जांच कराने के आदेश दिए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त महिला की 13 वर्षीय स्कूली छात्रा पुत्री का कुछ स्थानीय लोगों द्वारा अपहरण करने तथा दो लोगों द्वारा 45 दिनों तक प्रतिदिन उसके साथ सामुहिक बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अभियुक्तों में से एक अभियुक्त पुलिस कर्मी है और वह पुलिस मुख्यालय में पुलिस आयुक्त के कार्यालय में तैनात है ;

(घ) क्या सरकार ने थाना रामाकृष्णपुरम के अन्तर्गत आने वाली नानकपुरा पुलिस चौकी के अधिकारियों के विरुद्ध कोताही बरतने, जानबूझ कर बच्ची को मुक्त नहीं कराने तथा बच्ची के दो भाईयों को फर्जी मामलों में फंसाने के आरोपों को गम्भीरता से लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो अभी तक चौकी प्रभारी सहित अन्य सम्बन्धित पुलिस कर्मियों को निलम्बित क्यों नहीं किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि नानकपुरा, नई दिल्ली, निवासी श्रीमती गोपीदेवी द्वारा दिनांक 31-3-1993 को दायर की गयी एक अपराधिक रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर विशेष अपराध शाखा द्वारा 29-6-93 को एक मामला दर्ज किया गया । उसने याचिका में आरोप लगाया था कि कुछ बदमाशों, जिनके नाम याचिका में दिए गए हैं, ने उसकी 13 वर्षीय पुत्री का अपहरण किया और उसके साथ बलात्कार किया । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जांच पड़ताल से यह पता चला कि याचिकाकर्त्ता द्वारा बताए गए तथाकथित अपराधियों के नाम सही नहीं थे । जांच पड़ताल के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दो व्यक्तियों, विजय उर्फ बलबीर सिंह और राजू दुग्गल उर्फ राजबीर सिंह को गिरफ्तार किया, जिनके नाम याचिका में नहीं दिए गए थे ।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया कोई भी अपराधी पुलिस कार्मिक नहीं है । तथापि बताया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित एक अपराधी का भाई, दिल्ली पुलिस में सशस्त्र पुलिस शाखा में उप-निरीक्षक के पद पर कार्य कर रहा है ।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच में, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच भी शामिल है ।

Increase in the work done in Government Offices

2884. SHRI BRAHAMDEO ANAND PASWAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of English Typewriters available in the Ministries;

(b) the number of Hindi Typewriters available in the Ministries; and

(c) whether the percentage of work being done in Government Offices has increased over last five years and percentage thereof in each of the five years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) and (b) 11,322 English Typewriters and 2,622 Hindi Typewriters are avail-